मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून

(1)

विकास क्षेत्र में अनाधिकृत निर्माण के सम्बन्ध में प्रत्यावेदन

1. निर्माण कार्य/विकास कार्य प्रारम्भ करने का सम्भावित दिनांक : चालान से पूर्व
2. अनाधिकृत निर्माण / विकास मालूम होने का दिनांक: 17/2/2021
3. अनाधिकृत निर्माण / विकास कार्य का स्थान : आवास विकास कालोनी वीरभद्र मार्ग ऋषिकेश ।
4. अनाधिकृत निर्माण / विकास कार्य का विवरण लगभग 40' x 80' के क्षेत्र में भूतल प्रथम तल तथा द्वितीय तल पर भवन निर्माण किया जा रहा है स्थल पर स्वीकृत मानचित्र नहीं दिखाया ।
5. पट्टेदार या निर्माणकर्त्ता का नाम एंव पता: श्री दुष्यन्त सैनी पता उपरोक्त

प्रस्तावित कार्यवाही धारा 27(1) 28(1) के अन्तर्गत नोटिस

प्रत्यावेदन करने वाले का नाम, पद एंव सिफारिश विनोद चौहान अवर अभियन्ता

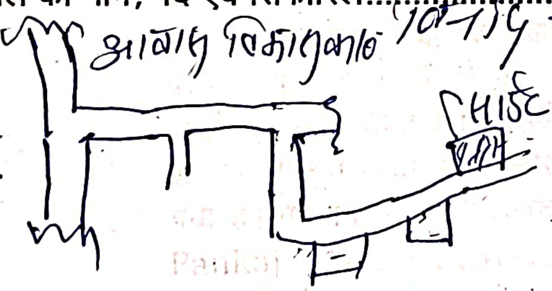

आज्ञा 17/2/21

17/2/21
सूचना देने वाले के हस्ताक्षर

नोटः यदि नोटिस उत्तराखण्ड नगर नियोजन एंव विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 की उपधारा (1) के अधीन जारी करना हो तो नोटिस हस्ताक्षर करते समय सलंग्न होना चाहिए।

कार्यालय मसूरी – देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून
(प्रपत्र – ख)

विकास / निर्माण कार्य रोकने की सूचना
उत्तराखंण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उपधारा (1) के अधीन आदेश
(अधिसूचना 5 अप्रैल के द्वारा)

Challan No.: **18862**
R-0215/2021

पत्रांक-1146
Sector Rishikesh
दिनांक: 18/02/2021

सेवा में,

Shri Dushyant Sethi / uprokt pata
Awas Vikas Colony, Veerbhadra marg, Rishikesh,Rishikesh

चूकि आपके द्वारा स्थल :
पक्ष: Shri Dushyant Sethi / uprokt pata
Awas Vikas Colony, Veerbhadra marg, Rishikesh

"लगभग 40 फिट गुणा 50 फिट के क्षेत्र में भूतल प्रथम तल तथा द्वितीय तल पर भवन निर्माण किया जा रहा है। स्थल पर स्वीकृत मानचित्र नहीं दिखया ।"
का अनाधिकृत विकास/ निर्माण कार्य बिना पूर्व अनुमति / स्वीकृति के जैसा कि उपरोक्त अधिनियम की धारा 14/15 में विनिर्दिष्ट है या प्रदत्त स्वीकृति /अनुमति की शर्तो का उल्लघंन कर
"लगभग 40 फिट गुणा 50 फिट के क्षेत्र में भूतल प्रथम तल तथा द्वितीय तल पर भवन निर्माण किया जा रहा है। स्थल पर स्वीकृत मानचित्र नहीं दिखया ।"
आरम्भ कर दिया है / किया जा रहा है । अतएव मैं उपरोक्त अधिनियम की धारा 28 (1) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आपसे अपेक्षा करता हूँ और यह आदेश देता हूँ कि उपरोक्त कार्य इस आदेश की प्राप्ति कर तुरन्त बंन्द कर दिया जाये एवं बन्द रहे।

इस आदेश का उपरोक्त अधिनियम की धारा 26 एवं 27 को में दिए उपबंधो पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही होगा। जो कि आप इस आदेश का पालन करनें में असफल रहेंगे तो उक्त धारा की 28 की उपधारा (4) के अन्तर्गत आप उस प्रत्येंक दिन के लिए जिसके दौरान आदेश का तामीली के पश्चात उसका पालन न किया जाना जारी है, अर्थ दंन्ड के लिए जो ₹2500.00 (दो हजार पांच सो रूपये) प्रतिदिन हो सकेगा , के लिए दण्डनीय होगें।

सहा0.अभि0 / सचिव
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
ट्रांसपोर्ट नगर , सहारनपुर रोड,
देहरादून

कार्यालय मसूरी – देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून
(प्रपत्र – क)

कारण बताओ नोटिस

Challan No: 21132 पत्रांक-1145

R-0215/2021

सेवा में, Sector Rishikesh दिनांक: 18/02/2021

Shri Dushyant Sethi / uprokt pata
Awas Vikas Colony, Veerbhadra marg, Rishikesh,
Rishikesh

उत्तराखंण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम , 1973 की धारा 27 (1) के अधीन नोटिस जो की आपके द्वारा उपरोक्त की धारा (14) में वर्णित आज्ञा / अनुज्ञा / स्वीकृति प्राप्त किये बिना या प्राप्त अनुज्ञा / स्वीकृति के शर्तो का उल्लंघन करते हुए (शर्तो का उल्लेख किया जाए)
"लगभग 40 फिट गुणा 50 फिट के क्षेत्र में भूतल प्रथम तल तथा द्वितीय तल पर भवन निर्माण किया जा रहा है। स्थल पर स्वीकृत मानचित्र नहीं दिखया ।"

स्थल : Awas Vikas Colony, Veerbhadra marg, Rishikesh

कार्य का विवरण दे : **"लगभग 40 फिट गुणा 50 फिट के क्षेत्र में भूतल प्रथम तल तथा द्वितीय तल पर भवन निर्माण किया जा रहा है। स्थल पर स्वीकृत मानचित्र नहीं दिखया ।"**

का अनाधिकृत विकास कार्य / निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है / कर रहे है / पूरा कर लिया गया है । तथा जिसका नक्शा साजरी निम्न है ।

सीमायें

पूरब	पश्चिम
उत्तर	दक्षिण

तथा जिसका किया जाना उपरोक्त अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत दंण्डनीय अपराध भी है । अतः उपरोक्त धारा 26 के अधीन अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडे बिना आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप इस प्राधिकरण के अधि0अभि0 / सचिव/उपाध्यक्ष कार्यालय मे दिनांक Feb 26, 2021 पूर्वाहन/अपराहन (समयः11:00AM) स्वंय अथवा अपने यथाविधि प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा शाखा कार्यालय ऋषिकेश उपस्थित होकर कारण बतायें तथा आवश्यक सबूत पेश करे कि आप द्वारा किया गया उपरोक्त निर्माण को ध्वस्त कर देन या अन्य तरह से हटा देने के आदेश क्यों ना दिये जाएँ।

Himanshu Semwal

सहा0.अभि0 / सचिव
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
ट्रांसपोर्ट नगर , सहारनपुर रोड,
देहरादून

टिप्पणी :– आपका ध्यान उपरोक्त अधिनियम की धारा 26(1) की और भी दिया जाता है जिसके अधीन आप उपरोक्त कृत्य के लिए अर्थदंड के भागी भी हो सकतें है जो ₹50,000.00 (पचास हजार रूपयें) तक हो सकता है और जारी रहने वाले अपराध की दशा में अतिरिक्त अर्थ दंड जो उस प्रत्येंक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा अपराध उसके प्रथम बार दोष सिद्ध होने के पश्चात जारी रहता है ₹500.00 (पाच सौ रूपये) प्रतिदिन हो सकेगा के लिए दंण्डनीय हो सकता है ।

नोट : वादी सुनवाई में आने से पूर्व प्राधिकरण की वेब साईट https://mddaonline.org.in/mdda पर अपना registration करना सुनिश्चित करें।

उक्त स्थल की अद्यतन फोटो भी आपको संलग्न कर भेजी जा रही है ।

विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि सील की तिथि से पूर्व उक्त परिसर को खाली कर दें तथा स्थल पर उपस्थित रह कर सील की कार्यवाही निष्पादित करायें। विपक्षी की अनुपस्थिति में सील की कार्यवाही एकतरफा सम्पादित हो। विपक्षी को यह भी निर्देश दिया जाता है कि स्थल पर लगायी गयी सील को न तो क्षतिग्रस्त करें और न होने दे, क्योंकि उक्त कृत्य शासकीय कार्य में बाधा डालना एवं सरकारी सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने के समान है, जो कि कानूनन दण्डनीय अपराध है। आदेश की एक प्रति स्थल पर चस्पा हो तथा एक प्रति विपक्षी को तामिल की जाए।

संयुक्त सचिव
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
शाखा कार्यालय,ऋषिकेश।

प्रतिलिपिः

1. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. उपजिलाधिकारी,ऋषिकेश को इस आशय के साथ कि नियत तिथि व समय में स्थल पर कानून व्यवस्था हेतु मजिस्ट्रेट एंव पुलिस बल तैनाती के आदेश देने का कष्ट करें।
3. प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली, ऋषिकेश को इस निर्देश के साथ की उक्त नियत तिथि को आवश्यक पुलिस बल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
4. नाजिर, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून को इस निर्देश के साथ की उक्त नियत तिथि को प्राधिकरण वाहन, चालक सहित एवं सुरक्षा गार्ड, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को मय सील सामग्री सहित उक्त दिनांक को पूर्वान्ह 11.00 बजे शाखा कार्यालय ऋषिकेश में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
5. सम्बन्धित क्षेत्रीय अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, शाखा कार्यालय, ऋषिकेश को इस निर्देश के साथ कि सील कार्यवाही नियत तिथि पर कराना सुनिश्चित करें।

संयुक्त सचिव
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
शाखा कार्यालय,ऋषिकेश।

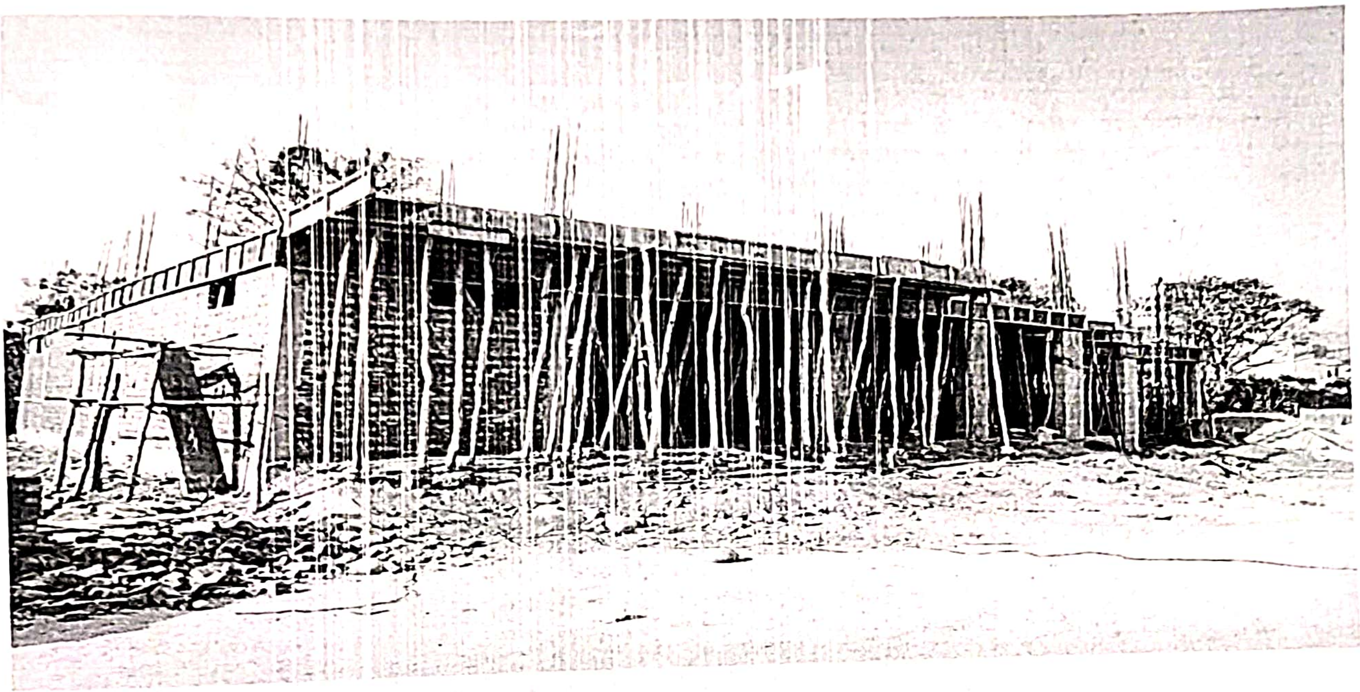

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।
शाखा कार्यालय, एच–21, ऋषिलोक कालोनी, ऋषिकेश, जिला–देहरादून।

दिनांक 05/03/2021

पत्रांकः 1193 /वाद संख्या आर0–0215/2021

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण **बनाम** श्री दुष्यन्त सेठी
बीरभद्र रोड (आवास विकास कालोनी),ऋषिकेश, जिला–देहरादून।

सील आदेश

विपक्षी द्वारा बिना प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त किये बीरभद्र रोड (आवास विकास कालोनी),ऋषिकेश में लगभग 40.00फिटX50.00फिट क्षेत्रफल में भूतल तथा द्वितीय तल पर भवन निर्माण किये जाने पर प्रश्नगत अवैध निर्माण के विरुद्ध प्राधिकरण द्वारा उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा–27(1) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस एंव धारा–28(1) के अन्तर्गत विकास कार्य रोको नोटिस दिनांक 18.02.2021 को प्रेषित करते हुए प्रकरण में पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 26.02.2021 की तिथि नियत की गयी थी। विपक्षी नियत तिथि पर उपस्थित नहीं हुए तथा न ही मौके पर किये जा रहे अवैध निर्माण के सम्बन्ध में कोई कारण/पक्ष प्रस्तुत किया गया है जबकि मौके पर निर्माण कार्य निरन्तर जारी रखा हुआ है। प्रश्नगत निर्माण के सम्बन्ध में विभिन्न स्रोतो से शिकायतें भी प्राप्त हो रही हैं।

अतः वर्णित परिस्थिति में विपक्षी द्वारा मौके पर किये जा रहे उपरोक्त वर्णित अनाधिकृत निर्माण को यथावत रोके जाने हेतु प्राधिकरण अधिनियम की धारा–28–1(क) के अधीन सील किया जाना आवश्यक है। अतः अनाधिकृत निर्माण धारा–28–1(क) अधीन सील करने का आदेश तत्काल प्रभाव में पारित किया जाता है। अनाधिकृत निर्माण को दिनांक 10/03/2021 को ही पूर्वान्ह 11.00 बजे से 05.00 बजे के मध्य सील किया जाए।

................2,

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।
शाखा कार्यालय, एच–21, ऋषिलोक कालोनी, ऋषिकेश, जिला–देहरादून।

पत्रांकः 1227 /वाद संख्या आर–0215/2021

दिनांक 19 / 03 /2021

सेवा में,

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
देहरादून।

महोदय,

कृपया इस कार्यालय के पत्रांक 1193/वाद संख्या आर–0215/2021 दिनॉक 05-03-2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसमें श्री दुष्यन्त सेठी द्वारा वीरभद्र रोड (आवास विकास कालोनी) ऋषिकेश में बिना प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त किये किया गया अनधिकृत निर्माण दिनांक 10-03-2021 को सीलबन्द किया जाना था। नियत तिथि पर पुलिस बल की उपलब्धता न होने के कारण प्रश्नगत अवैध निर्माण के सीलबन्द की कार्यवाही नहीं हो सकी है। प्रश्नगत अवैध निर्माण को **दिनॉक** 23/03/2021 को सीलबन्द किया जाना प्रस्तावित है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त तिथि को अवैध निर्माण की सील कार्यवाही शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु सम्बन्धित थानाध्यक्ष/प्रभारी निरीक्षक कोतवाली ऋषिकेश को पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीया

19/3/2021

सयुंक्त सचिव
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
शाखा कार्यालय ऋषिकेश।

प्रतिलिपिः–

1. उपजिलाधिकारी, ऋषिकेश को इस आशय के साथ कि नियत तिथि व समय में स्थल पर कानून व्यवस्था हेतु मजिस्ट्रेट एंव पुलिस बल तैनाती के आदेश देने का कष्ट करें।
2. प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली. ऋषिकेश को इस निर्देश के साथ की उक्त तिथि को आवश्यक पुलिस बल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
3. श्री दुष्यन्त सेठी वीरभद्र रोड (आवास विकास कालोनी) ऋषिकेश जिला देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
4. सम्बन्धित क्षेत्रीय अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, शाखा कार्यालय, ऋषिकेश को इस निर्देश के साथ कि सील कार्यवाही नियत तिथि पर कराना सुनिश्चित करें।

सयुंक्त सचिव
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
शाखा कार्यालय ऋषिकेश।

19/3/2021

कोतवाली ऋषिकेश
दिनांक
जनपद – देहरादून

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।
शाखा कार्यालय, एच-21, अशिहोक कालोनी, ऋषिकेश, जिला-देहरादून।

पत्रांकः 1265 /वाद संख्या आर-0215/2021

दिनांक 26 / 03 /2021

सेवा में,

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
देहरादून।

महोदय,

कृपया इस कार्यालय के पत्रांक 1227/वाद संख्या आर-0215/2021 दिनॉक 19-03-2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसमें श्री दुष्यन्त सेठी द्वारा वीरभद्र रोड (आवास विकास कालोनी) ऋषिकेश में बिना प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त किये किया गया अनधिकृत निर्माण दिनांक 23-03-2021 को सीलबन्द किया जाना था। नियत तिथि पर पुलिस बल की उपलब्धता न होने के कारण प्रश्नगत अवैध निर्माण के सीलबन्द की कार्यवाही नहीं हो सकी है। प्रश्नगत अवैध निर्माण को **दिनॉक 30-03-2021** को सीलबन्द किया जाना प्रस्तावित है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त तिथि को अवैध निर्माण की सील कार्यवाही शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु सम्बन्धित थानाध्यक्ष/प्रभारी निरीक्षक कोतवाली ऋषिकेश को पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीया

सयुंक्त सचिव
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
शाखा कार्यालय ऋषिकेश।

प्रतिलिपिः-

1. उपजिलाधिकारी, ऋषिकेश को इस आशय के साथ कि नियत तिथि व समय में स्थल पर कानून व्यवस्था हेतु मजिस्ट्रेट एंव पुलिस बल तैनाती के आदेश देने का कष्ट करें।
2. प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली, ऋषिकेश को इस निर्देश के साथ की उक्त तिथि को आवश्यक पुलिस बल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
3. श्री दुष्यन्त सेठी वीरभद्र रोड (आवास विकास कालोनी) ऋषिकेश जिला देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
4. सम्बन्धित क्षेत्रीय अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, शाखा कार्यालय, ऋषिकेश को इस निर्देश के साथ कि सील कार्यवाही नियत तिथि पर कराना सुनिश्चित करें।

26/3/2021

सयुंक्त सचिव
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
शाखा कार्यालय ऋषिकेश।

प्राप्त 26/3/2021

कोतवाली ऋषिकेश

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

शाखा कार्यालय, एच–21, ऋषिलोक कालोनी, ऋषिकेश, जिला–देहरादून।

सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, शाखा कार्यालय ऋषिकेश के आदेश संख्या 1265 दिनांक 26.03.21 के अनुपालन में विपक्षी श्री दुष्यन्त सेठी द्वारा वीरभद्र रोड आवास विकास ऋषिकेश में किया गया अवैध निर्माण आज दिनांक 30.03.2021 को स्थल पर जिस स्थिति में निर्माण पाया गया उसी स्थिति में नियमानुसार सर्व मुहर सील किया गया।

30.03.2021

अवर अभियन्ता
म0दे0वि0प्रा0
देहरादून।

~~थानाध्यक्ष~~/इंचार्ज
थाना

सहायक अभियंता
म0दे0वि0प्रा0
देहरादून।

तहसीलदार/मजिस्ट्रेट

संयुक्त सचिव,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
शाखा कार्यालय ऋषिकेश।

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।
शाखा कार्यालय, एच–21, ऋषिलोक कालोनी, ऋषिकेश, जिला–देहरादून।

संख्याः 522/वाद संख्या आर–0215/2020–21 दिनांक 14/07/2022

सेवा में,

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
देहरादून।

महोदय,

कृपया इस कार्यालय के पत्रांक 0215 वाद संख्या आर–0215/2021 दिनॉक 31-03-2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसमें श्री दुष्यन्त सेठी द्वारा वीरभद्र रोड (निकट–आवास विकास कालोनी), ऋषिकेश में स्वीकृत से अतिरिक्त किया गया अवैध निर्माण दिनांक 20-04-2022 को सील किया जाना था। नियत तिथि पर पुलिस बल उपलब्ध न होने के कारण प्रश्नगत अवैध निर्माण के सीलबन्द की कार्यवाही नहीं हो सकी है। प्रश्नगत अवैध निर्माण दिनॉक 27/07/2022 को सीलबन्द किया जाना प्रस्तावित है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त तिथि को अवैध निर्माण की सील कार्यवाही शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु सम्बन्धित थानाध्यक्ष को पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय

सचिव
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

प्रतिलिपिः–

1. उपजिलाधिकारी, ऋषिकेश को इस आशय के साथ कि नियत तिथि व समय में स्थल पर कानून व्यवस्था हेतु मजिस्ट्रेट एंव पुलिस बल तैनाती के आदेश देने का कष्ट करें।
2. अधिशासी अभियंता, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, शाखा ऋषिकेश को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली. ऋषिकेश को इस निर्देश के साथ की उक्त तिथि को आवश्यक पुलिस बल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
4. श्री दुष्यन्त सेठी द्वारा वीरभद्र रोड (निकट–आवास विकास कालोनी), ऋषिकेश को सूचनार्थ प्रेषित।
5. सम्बन्धित क्षेत्रीय अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, शाखा कार्यालय, ऋषिकेश को इस निर्देश के साथ कि सील कार्यवाही नियत तिथि पर कराना सुनिश्चित करें।

सचिव
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

शाखा कार्यालय, एच–21, ऋषिलोक कालोनी, ऋषिकेश, जिला–देहरादून।

पत्रांकः 2११ /आर–0215/2021–22 दिनांक 02 / 08 / 2021

प्रभारी निरीक्षक,
कोतवाली ऋषिकेश,
जिला–देहरादून।

श्री दुष्यन्त सेठी द्वारा बीरभद्र रोड (आवास विकास कालोनी) ऋषिकेश में बिना प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त किये भवन निर्माण किये जाने पर प्रश्नगत निर्माण के विरूद्ध इस प्राधिकरण द्वारा उत्तराखण्ड (उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम–1973) संशोधन अधिनियम–2013 की धारा–27(1) एवं धारा–28(1) के अन्तर्गत नोटिस निर्गत करते हुए अवैध निर्माण का वाद योजित किया गया था। प्रकरण में सम्यक सुनवाई के उपरान्त प्राधिकरण स्तर पर प्रश्नगत अवैध निर्माण के विरूद्ध कार्यालय पत्रांक 1265 दिनॉक 26–03–2021 द्वारा सीलबन्द आदेश पारित करते हुए उक्त अनधिकृत दिनॉक 30–03–2021 को पुलिस बल की उपस्थिति में सीलबन्द किया गया था। यह संज्ञान में आया है कि विपक्षी द्वारा रस्सियों के नीचे से चोरी–छुपे मौके पर अग्रेत्तर अनधिकृत निर्माण किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः उत्तराखण्ड नगर एंव ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम की धारा–28(2) एंव (3) के अन्तर्गत प्रदत्त प्राविधानों के अनुसार उक्त कार्य को तत्काल मौके पर रोके जाने, मौके पर निर्माण सम्बन्धी उपकरणों को हटाने, मौके पर निगरानी करने हेतु एंव मौके पर कोई अग्रेत्तर कार्य न हो अर्थात यथास्थिति सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

सचिव
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
शाखा कार्यालय,ऋषिकेश।

पत्रांक/दिनॉक यथोक्त।

प्रतिलिपि–क्षेत्रीय अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता को अनुश्रवण एंव अनुपालनार्थ।

सचिव
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
शाखा कार्यालय,ऋषिकेश।

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

शाखा कार्यालय, एच–21, ऋषिलोक कालोनी, ऋषिकेश, जिला–देहरादून।

पत्रांकः 613 /आर–0215/2021–22 दिनांक 12 / 11 / 2021

प्रभारी निरीक्षक,
कोतवाली ऋषिकेश,
जिला–देहरादून।

श्री दुष्यन्त सेठी/हितबद्व व्यक्ति द्वारा बीरभद्र रोड (निकट–आवास विकास कालोनी) ऋषिकेश में बिना प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त किया गया अनधिकृत निर्माण दिनॉक 30–03–2021 को पुलिस बल की उपस्थिति में सीलबन्द किया गया था। विपक्षी श्री दुष्यन्त सेठी द्वारा मौके पर रस्सियों के नीचे से चोरी–छुपे अग्रेत्तर अनधिकृत निर्माण प्रारम्भ किये जाने पर प्रश्नगत निर्माण को यथावत रोके जाने तथा मौके पर यथास्थिति हेतु कार्यालय पत्रांक 299/आर–0215/2021–22 दिनॉक 02–08–2021 द्वारा आपसे अनुरोध किया गया था। प्रश्नगत स्थल के निरीक्षण के दौरान मौके पर सील रस्सियों नहीं पाई गई तथा सीलबन्द निर्माण में अग्रेत्तर निर्माण किया जाना पाया गया,जिसे प्राधिकरण स्तर पर भी रोका गया है।

अतः उत्तराखण्ड नगर एंव ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम की धारा–28(2) एंव (3) के अन्तर्गत प्रदत्त प्राविधानों के अनुसार आपसे पुनः अपेक्षा की जाती है कि कृपया उक्त कार्य को तत्काल मौके पर रोके जाने, मौके पर निर्माण सम्बन्धी उपकरणों को हटाने, मौके पर निगरानी करने हेतु एंव मौके पर कोई अग्रेत्तर कार्य न हो अर्थात यथास्थिति सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

सचिव
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
शाखा कार्यालय,ऋषिकेश।

पत्रांक/दिनॉक यथोक्त।

प्रतिलिपि–सम्बन्धित अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता को इस निर्देश के साथ कि मौके पर हटाई गई सील को पूर्व पारित सीलबन्द आदेश पत्रांक 1265/आर–0215/2021–22 दिनॉक 26–03–2021 के क्रम में यथावत लगवाते हुए यथास्थिति के सम्बन्ध में अवगत कराना सुनिश्चित करेंगें।

सचिव
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
शाखा कार्यालय,ऋषिकेश।

कोतवाली ऋषिकेश
दिनॉक
जनपद – देहरादून

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।
शाखा कार्यालय, एच–21, ऋषिलोक कालोनी, ऋषिकेश, जिला–देहरादून।

पत्रांकः 1207 /वाद संख्या आर–0215/2021

सेवा में,

दिनांक 31 /03 /2022

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
देहरादून।

महोदय,

कृपया श्री दृष्यन्त सेठी/हितबद्व व्यक्ति द्वारा बीरभद्र रोड (निकट–आवास विकास कालोनी) ऋषिकेश में बिना प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त किया गया अनधिकृत निर्माण दिनांक 30–03–2021 को पुलिस बल की उपस्थिति में सीलबन्द किया गया था। स्थल निरीक्षण के दौरान पाया गया कि विपक्षी श्री दृष्यन्त सेठी/हितबद्व व्यक्ति द्वारा मौके से सील की रस्सियों को हटाते हुए सीलबन्द निर्माण पर अग्रेत्तर निर्माण कार्य जारी रखा हुआ है। प्रश्नगत अवैध निर्माण को **दिनाँक** 20/04/2022 को पुनः सीलबन्द किया जाना प्रस्तावित है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त तिथि को अवैध निर्माण की सील कार्यवाही शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु सम्बन्धित थानाध्यक्ष/प्रभारी निरीक्षक कोतवाली ऋषिकेश को पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय

सचिव
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
शाखा कार्यालय ऋषिकेश।

प्रतिलिपिः–

06/4/22

1. उपजिलाधिकारी, ऋषिकेश को इस आशय के साथ कि नियत तिथि व समय में स्थल पर कानून व्यवस्था हेतु मजिस्ट्रेट एवं पुलिस बल तैनाती के आदेश देने का कष्ट करें।
2. प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली. ऋषिकेश को इस निर्देश के साथ की उक्त तिथि को आवश्यक पुलिस बल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
3. श्री दुष्यन्त सेठी बीरभद्र रोड (आवास विकास कालोनी) ऋषिकेश जिला देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
4. सम्बन्धित क्षेत्रीय अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, शाखा कार्यालय, ऋषिकेश को इस निर्देश के साथ कि सील कार्यवाही नियत तिथि पर कराना सुनिश्चित करें।

सचिव
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
शाखा कार्यालय ऋषिकेश।

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।
शाखा कार्यालय, एच–21, ऋषिलोक कालोनी, ऋषिकेश, जिला–देहरादून।

संख्याः 522/वाद संख्या आर–0215/2020–21

सेवा में, दिनांक 14/07/2022

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
देहरादून।

महोदय,

कृपया इस कार्यालय के पत्रांक 0215 वाद संख्या आर–0212/2021 दिनॉक 31–03–2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसमें श्री दुष्यन्त सेठी द्वारा वीरभद्र रोड (निकट–आवास विकास कालोनी), ऋषिकेश में स्वीकृत से अतिरिक्त किया गया अवैध निर्माण दिनांक 20–04–2022 को सील किया जाना था। नियत तिथि पर पुलिस बल उपलब्ध न होने के कारण प्रश्नगत अवैध निर्माण के सीलबन्द की कार्यवाही नहीं हो सकी है। प्रश्नगत अवैध निर्माण दिनॉक 27/07/2022 को सीलबन्द किया जाना प्रस्तावित है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त तिथि को अवैध निर्माण की सील कार्यवाही शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु सम्बन्धित थानाध्यक्ष को पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय

सचिव
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

प्रतिलिपिः–

1. उपजिलाधिकारी, ऋषिकेश को इस आशय के साथ कि नियत तिथि व समय में स्थल पर कानून व्यवस्था हेतु मजिस्ट्रेट एंव पुलिस बल तैनाती के आदेश देने का कष्ट करें।
2. अधिशासी अभियंता, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, शाखा ऋषिकेश को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली. ऋषिकेश को इस निर्देश के साथ की उक्त तिथि को आवश्यक पुलिस बल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
4. श्री दुष्यन्त सेठी द्वारा वीरभद्र रोड (निकट–आवास विकास कालोनी), ऋषिकेश को सूचनार्थ प्रेषित।
5. सम्बन्धित क्षेत्रीय अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, शाखा कार्यालय, ऋषिकेश को इस निर्देश के साथ कि सील कार्यवाही नियत तिथि पर कराना सुनिश्चित करें।

सचिव
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, मसूरी ।

(सीलिग/ध्वस्तीकरण हेतु कारण बताओ नोटिस)

पत्रांक 2969 /वाद संख्या आर–0215/2021 दिनांक 03/03/ 2025

श्री दुष्यन्त सेठी,
आवास विकास कालोनी, वीरभद्र मार्ग,
ऋषिकेश, जिला देहरादून/(टी.एन.टी. हॉस्पिटल, सीटी सेन्टर,
देहरादून रोड, ऋषिकेश।)

उपर्युक्त वाद में आपके द्वारा उपरोक्त स्थल/पते पर बिना कोई स्वीकृती प्राप्त किये/दिखाये स्थल उपरोक्त पर स्थल पर लगभग 45 फिट गुणा 45 फिट के क्षेत्रफल में भूतल, प्रथमतल, द्वितीय तल, पर निर्माण कार्य किये के कारण आपके विरूद्व उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश) नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम–1973 संशोधित–2009 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत वाद संख्या आर–0215/2021 योजित किया गया था। जिसे सील कर दिया गया था। परन्तु आप द्वारा सील तोडते हुए प्रश्नगत निर्माण को पूर्ण करके बिल्डिंग को विकय कर दिया गया। प्रश्नगत निर्माण में निरन्तर शिकायतें प्राप्त हो रही है।

जिसके कम में आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध वाद को शमन करा कर शमन मानचित्र /सम्बन्धित अभिलेख दिनांक 06/03/25 को समय 11:00 बजे पूर्वान्ह उपस्थित हो अन्यथा सुंसगत धाराओं के अन्तर्गत आपके निर्माण के विरुद्ध कार्यवाही अमल में लायी जायेगी ।

सहायक अभियन्ता
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
ऋषिकेश।

4/3/25

Show cause/vsr

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,

शाखा कार्यालय, एच–21, ऋषिलोक कालोनी, ऋषिकेश, जिला–देहरादून।

पत्रांकः 3149/वाद संख्या–आर–0215/2021

दिनांकः 17/05 मई 2025

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण बनाम

श्री दुष्यन्त सेठी,
वीरभद्र रोड, न्यू आवास विकास कालोनी,
भरत विहार, निकट हरि रेजीडेंसी,
ऋषिकेश।

आपके द्वारा स्थल उपरोक्त पर बिना कोई स्वीकृति प्राप्त किये/दिखाये लगभग 40 गुणा 50 वर्गफिट के क्षेत्रफल में भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल पर निर्माण कार्य किये जाने के कारण विपक्षी के विरूद्व उत्तराखण्ड नगर नियोजन एंव विकास अधिनियम 1973 (यथा संशोधित) की सुसंगत धाराओं में कार्यवाही करते हुये वाद संख्या–आर–0215/2021 योजित किया गया था जिसको कि प्राधिकरण द्वारा पूर्व में सील आदेश संख्या 1265 दिनांक 26.03.2021 के अनुपालन में दिनांक 30.03.2021 को सील करते हुये पुलिस अभिरक्षा में सुपुर्द किया गया था। वर्तमान में प्रकरण में लगातार शिकायते प्राप्त होने के कम में प्राधिकरण के अभियन्ताओं द्वारा अपनी स्थलीय आख्या दिनांक 25.02.2025 में अवगत कराया गया है कि स्थल पर निर्माण कार्य पूर्ण स्थिति में है। स्थल पर 40 गुणा 50 वर्ग फिट में विकसित भूतल, प्रथमतल, द्वितीय तल, तृतीय तल व आंशिक भाग में चतुर्थ तल पर भवन निर्मित पाया गया है। वर्तमान में स्थल पर निर्मित भवन/फ्लैटों में अध्यासित व्यक्तियों श्री पंकज अग्रवाल, श्री संजीव पाण्डेय, श्री दीपक गुप्ता व श्रीमति पुष्पा आदि के विरूद्व भी कार्यवाही करते हुये वाद संख्या आर–1178/2024 योजित है। स्थल पर संज्ञानित हुआ है कि वर्णित भवन/फ्लैटों में भूतल पर श्री दीपक गुप्ता, प्रथम तल पर श्री पाण्डेय जी है व द्वितीय एंव तृतीय तल तथा चतुर्थ तल पर श्री पंकज अग्रवाल का अध्यासन है। वाद संख्या आर–1178 के अन्तर्गत श्री पंकज अग्रवाल द्वारा अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 16.01.2025 के द्वारा लिखित रूप से अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत भवन/फ्लैटों का निर्माण श्री दुष्यंत सेठी के द्वारा कराया गया है तथा उनके द्वारा उक्त भवन/फ्लैट श्री दुष्यंत सेठी से कय किया गया है। श्री दुष्यत सेठी द्वारा किये गये निर्माण को प्राधिकरण द्वारा सील आदेश संख्या 1265 दिनांक 26.03.2021 के अनुपालन में दिनांक 30.03.2021 को सील करते हुये पुलिस अभिरक्षा में सुपुर्द किया गया था, जिससे कि स्पष्ट है कि श्री सेठी द्वारा निर्माण सील किये जाने के बाद भी लगातार निर्माण कार्य करते हुये निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है। इस संबंध में पूर्व में भी प्रश्नगत निर्माण को पुनः सील किये जाने हेतु तिथियां निर्धारित की गयी परन्तु विभिन्न कारणों से प्रश्नगत भवन/फ्लैटों को सील नहीं किया जा सका है।

वर्तमान में क्षेत्रीय अभियन्ता द्वारा अपनी आख्या दिनांक 16.05.2025. में अवगत कराया गया कि विपक्षी द्वारा बिल्डिंग को विकसित कर तल वार विभिन्न लोगों को विकय कर दिया गया है। जिसके कम में प्राधिकरण द्वारा श्री पंकज अग्रवाल, श्री दीपक गुप्ता, श्री संजीव पाण्डेय, श्रीमती पुष्पा, न्यू आवास विकास कालोनी, भरत विहार, निकट हरि रेजीडेंसी के विरुद्ध उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एंव विकास अधिनियम 1973) यथा संशोधन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत वाद आर–1178/2024 योजित करते हुए कारण बताओ नोटिस दिनांक 08.11.2024 को निर्गत करत हुए पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 14.11.2024 की तिथि नियत की गयी थी। उक्त तिथि को विपक्षी श्री पंकज अग्रवाल एंव श्रीमती पुष्पा द्वारा कार्यालय में प्रार्थना पत्र दिनांक 14.11.2024 प्रस्तुत कर उल्लेख किया गया कि उक्त सम्पत्ति भवन निर्माता श्री दुष्यन्त सेठी से कय की गयी है। तत्पश्चात प्रश्नगत वाद में विपक्षी को पुनः नोटिस दिनांक 09.01.2025 को निर्गत करते हुए सुनवाई हेतु दिनांक 16.01.2025 नियत की गयी। जिसके कम में अन्य विपक्षी श्री दीपक गुप्ता द्वारा कार्यालय में पत्र दिनांक 16.01.2025 प्रस्तुत करते हुए उल्लेख किया गया कि उक्त भूतल निर्माणकर्ता श्री दुष्यन्त सेठी से कय किया गया है। वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या WPMB No-113 of 2025 Pankaj kumar agarwal & Ors. Versus

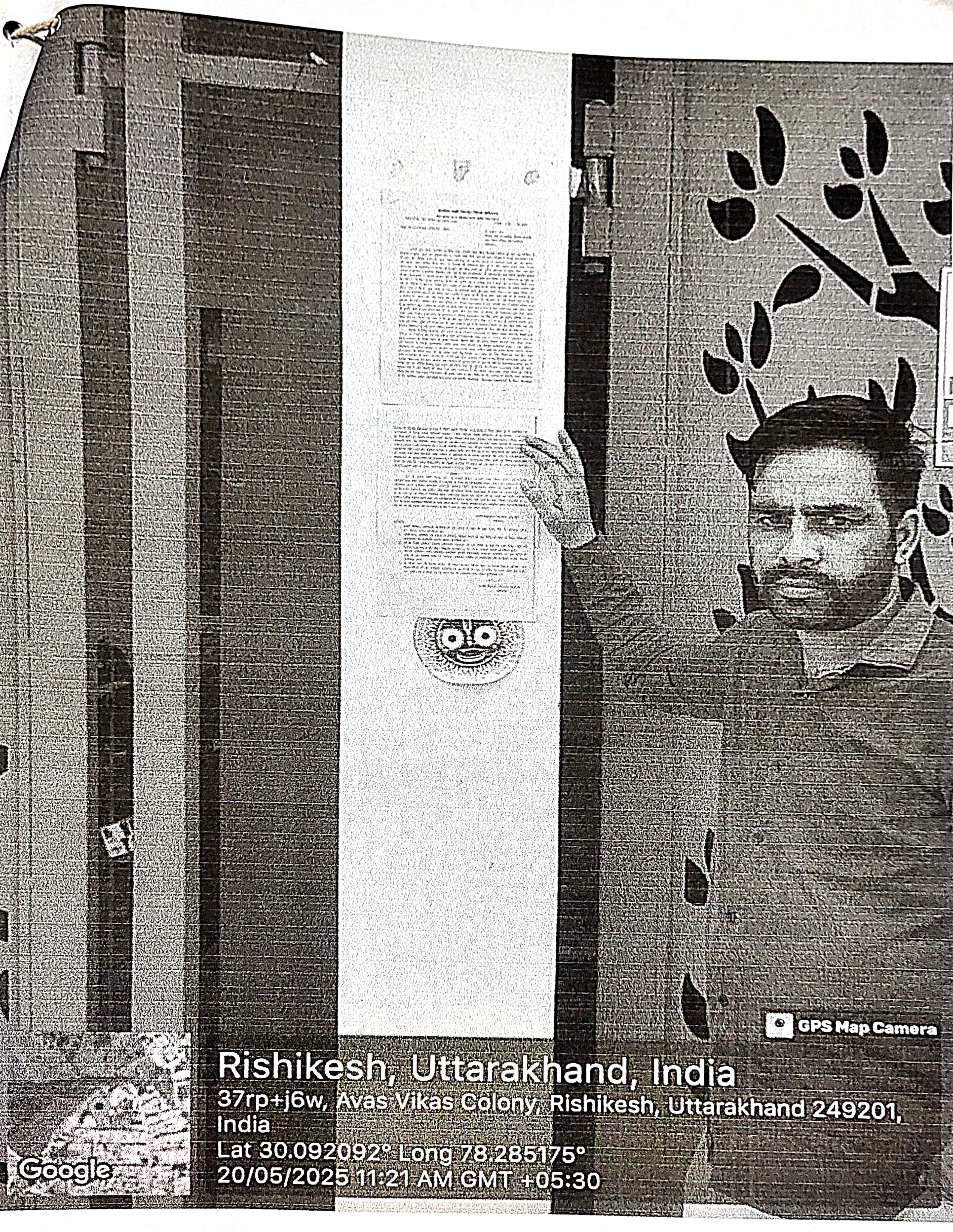
GPS Map Camera
Rishikesh, Uttarakhand, India
37rp+j6w, Avas Vikas Colony, Rishikesh, Uttarakhand 249201, India
Lat 30.092092° Long 78.285175°
20/05/2025 11:21 AM GMT +05:30
Google

State of Uttarakhand & Ors में पारित आदेश दिनांक 02.04.2025 के बिन्दु संख्या 06 में उल्लेखित कर याचिकाकर्ता के विरुद्ध अध्यक्ष (कमिश्नर गढवाल) मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के पत्र दिनांक 21.02.2025 का जिक करते हुए जिसमें उपाध्यक्ष मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून को अभय पक्षों के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में प्रतिवादी संख्या 7–श्री घनश्याम मल व 8–श्री मनमोहन तिवारी द्वारा स्वीकृत/शमनित मानचित्र से भिन्न निर्माण को ध्वस्तीकरण किये जाने हेतु सुसंगत धाराओं में आदेश पारित कर दिये गये है एंव याचिकाकर्ता श्री पंकज अग्रवाल जो दुष्यन्त सेठी द्वारा विकसित अवैध निर्माण में अध्यासित है के विरुद्ध कार्यवाही की जानी है। जिसके कम में निर्माणकर्ता श्री दुष्यन्त सेठी को उपरोक्त वाद में पत्र दिनांक 01.03.2025 प्रेषित करते हुए दिनांक 06.03.2025 नियत की गयी थी। परन्तु नियत तिथि को विपक्षी कार्यालय में प्रस्तुत नही हुए तथा न ही उनके द्वारा मानचित्र स्वीकृति सम्बंधी कोई भी साक्ष्य/अभिलेख कार्यालय में प्रस्तुत किया गया।

— :आदेश:—

अतः श्री दुष्यन्त सेठी, वीरभद्र रोड, न्यू आवास विकास कालोनी, भरत विहार, निकट हरि रेजीडेंसी ऋषिकेश द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृति के/अनुमति के जैसा कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत निर्गत कारण बताओ नोटिस एंव पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के अनुशीलन तथा क्षेत्रीय अभियन्ताओं की आख्या दिनांक 25.02.2025 के आधार पर चालान शुदा निर्माण पर 40 गुणा 50 वर्ग फिट में विकसित भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल, तृतीय तल एंव चतुर्थ तल निर्मित अनधिकृत निर्माण/अवैध विकास कार्य करने पर ध्वस्तीकरण के आदेश पारित किये जाने है। आप/विपक्षी पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर अनधिकृत निर्माण को स्वयं ध्वस्त कर दे, अन्यथा प्राधिकरण द्वारा बलपूर्वक ध्वस्त कर दिया जायेगा एवं इस पर होने वाला व्यय भू–राजस्व के रूप मे आप से वसूल कर लिया जायेगा।

उपजिलाधिकारी/पीठासीन अधिकारी,
ऋषिकेश।

प्रतिलिपिः—

1. प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली. ऋषिकेश को इस आशय के साथ कि उक्त नियत तिथि को आवश्यक पुलिस बल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
2. तहसीलदार, ऋषिकेश को प्रकरण में मजिस्ट्रेट नियुक्त करते हुए इस निर्देश के साथ की नियत तिथि को ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें।
3. नाजिर, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून को इस निर्देश के साथ कि उक्त नियत तिथि को पूर्वान्ह 11.00 बजे से पूर्व शाखा कार्यालय ऋषिकेश में एक डोजर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।
4. सहायक अभियंता/अवर अभियंता/सम्बन्धित प्रोसेस सर्वर,शाखा कार्यालय ऋषिकेश को इस निर्देश के साथ कि वह निर्धारित तिथि पर प्रश्नगत अनधिकृत निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पन्न कराना सुनिश्चित करेगें।
5. श्री दीपक गुप्ता, श्री संजीव पाण्डेय, श्री पंकज अग्रवाल, श्रीमती पुष्पा, न्यू आवास विकास कॉलोनी, भरत विहार, निकट श्री हरि रेजीडेंसी, ऋषिकेश को इस निर्देश के साथ कि प्रेषित वह भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल, तृतीय तल व चतुर्थ तल एव पंचम तल को अध्यासन मुक्त करना सुनिश्चित करें।

उपजिलाधिकारी/पीठासीन अधिकारी,
ऋषिकेश।

कोतवाली ऋषिकेश
दि० 19/3/25
जनपद – देहरादून

19/3/25

Varun gupta

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,

शाखा कार्यालय, एच–21, ऋषिलोक कालोनी, ऋषिकेश, जिला–देहरादून।

पत्रांकः 3149/वाद संख्या–आर–0215/2021

दिनांकः 17 मई 2025

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण बनाम

श्री दुष्यन्त सेठी,
वीरभद्र रोड, न्यू आवास विकास कालोनी,
भरत विहार, निकट हरि रेजीडेंसी,
ऋषिकेश।

आपके द्वारा स्थल उपरोक्त पर बिना कोई स्वीकृति प्राप्त किये/दिखाये लगभग 40 गुणा 50 वर्गफिट के क्षेत्रफल में भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल पर निर्माण कार्य किये जाने के कारण विपक्षी के विरूद्व उत्तराखण्ड नगर नियोजन एंव विकास अधिनियम 1973 (यथा संशोधित) की सुसंगत धाराओं में कार्यवाही करते हुये वाद संख्या–आर–0215/2021 योजित किया गया था जिसको कि प्राधिकरण द्वारा पूर्व में सील आदेश संख्या 1265 दिनांक 26.03.2021 के अनुपालन में दिनांक 30.03.2021 को सील करते हुये पुलिस अभिरक्षा में सुपुर्द किया गया था। वर्तमान में प्रकरण में लगातार शिकायते प्राप्त होने के क्रम में प्राधिकरण के अभियन्ताओं द्वारा अपनी स्थलीय आख्या दिनांक 25.02.2025 में अवगत कराया गया है कि स्थल पर निर्माण कार्य पूर्ण स्थिति में है। स्थल पर 40 गुणा 50 वर्ग फिट में विकसित भूतल, प्रथमतल, द्वितीय तल, तृतीय तल व आंशिक भाग में चतुर्थ तल पर भवन निर्मित पाया गया है। वर्तमान में स्थल पर निर्मित भवन/फ्लैटों में अध्यासित व्यक्तियों श्री पंकज अग्रवाल, श्री संजीव पाण्डेय, श्री दीपक गुप्ता व श्रीमति पुष्पा आदि के विरूद्व भी कार्यवाही करते हुये वाद संख्या आर–1178/2024 योजित है। स्थल पर संज्ञानित हुआ है कि वर्णित भवन/फ्लैटों में भूतल पर श्री दीपक गुप्ता, प्रथम तल पर श्री पाण्डेय जी है व द्वितीय एंव तृतीय तल तथा चतुर्थ तल पर श्री पंकज अग्रवाल का अध्यासन है। वाद संख्या आर–1178 के अन्तर्गत श्री पंकज अग्रवाल द्वारा अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 16.01.2025 के द्वारा लिखित रूप से अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत भवन/फ्लैटों का निर्माण श्री दुष्यंत सेठी के द्वारा कराया गया है तथा उनके द्वारा उक्त भवन/फ्लैट श्री दुष्यंत सेठी से कय किया गया है। श्री दुष्यत सेठी द्वारा किये गये निर्माण को प्राधिकरण द्वारा सील आदेश संख्या 1265 दिनांक 26.03.2021 के अनुपालन में दिनांक 30.03.2021 को सील करते हुये पुलिस अभिरक्षा में सुपुर्द किया गया था, जिससे कि स्पष्ट है कि श्री सेठी द्वारा निर्माण सील किये जाने के बाद भी लगातार निर्माण कार्य करते हुये निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है। इस संबंध में पूर्व में भी प्रश्नगत निर्माण को पुनः सील किये जाने हेतु तिथियां निर्धारित की गयी परन्तु विभिन्न कारणों से प्रश्नगत भवन/फ्लैटों को सील नहीं किया जा सका है।

वर्तमान में क्षेत्रीय अभियन्ता द्वारा अपनी आख्या दिनांक 16.05.2025. में अवगत कराया गया कि विपक्षी द्वारा बिल्डिंग को विकसित कर तल वार विभिन्न लोगों को विकय कर दिया गया है। जिसके कम में प्राधिकरण द्वारा श्री पंकज अग्रवाल, श्री दीपक गुप्ता, श्री संजीव पाण्डेय, श्रीमती पुष्पा, न्यू आवास विकास कालोनी, भरत विहार, निकट हरि रेजीडेंसी के विरुद्ध उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एंव विकास अधिनियम 1973) यथा संशोधन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत वाद आर–1178/2024 योजित करते हुए कारण बताओ नोटिस दिनांक 08.11.2024 को निर्गत करत हुए पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 14.11.2024 की तिथि नियत की गयी थी। उक्त तिथि को विपक्षी श्री पंकज अग्रवाल एंव श्रीमती पुष्पा द्वारा कार्यालय में प्रार्थना पत्र दिनांक 14.11.2024 प्रस्तुत कर उल्लेख किया गया कि उक्त सम्पत्ति भवन निर्माता श्री दुष्यन्त सेठी से कय की गयी है। तत्पश्चात प्रश्नगत वाद में विपक्षी को पुनः नोटिस दिनांक 09.01.2025 को निर्गत करते हुए सुनवाई हेतु दिनांक 16.01.2025 नियत की गयी। जिसके कम में अन्य विपक्षी श्री दीपक गुप्ता द्वारा कार्यालय में पत्र दिनांक 16.01.2025 प्रस्तुत करते हुए उल्लेख किया गया कि उक्त भूतल निर्माणकर्ता श्री दुष्यन्त सेठी से कय किया गया है। वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या WPMB No-113 of 2025 Pankaj kumar agarwal & Ors. Versus

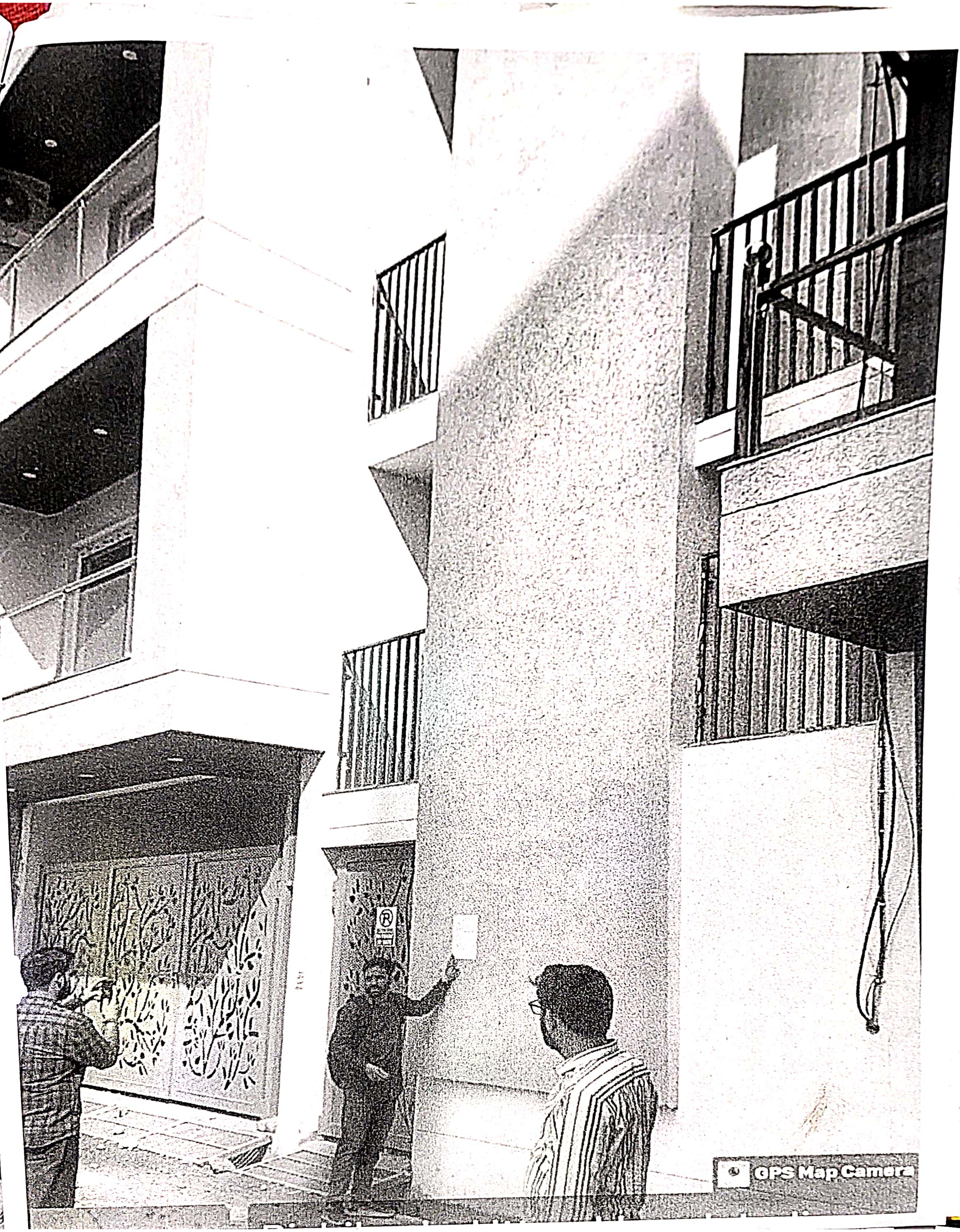
GPS Map Camera

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,

शाखा कार्यालय, एच–21, ऋषिलोक कालोनी, ऋषिकेश, जिला–देहरादून।

पत्रांक 3258 /नो0/ऋषि0/वाद संख्या आर–0215/2021

दिनांकः 07 जुलाई 2025

सेवा में,

पुलिस क्षेत्राधिकारी
ऋषिकेश, जिला देहरादून।

विषयः– दिनांक 8/7/25 को स्थल वीरभद्र रोड, न्यू आवास विकास, भरत विहार निकट हरि अपार्टमेन्ट, ऋषिकेश जिला देहरादून में अनधिकृत निर्माण ध्वस्त किये जाने हेतु पुलिस बल उपलब्ध कराये जाने विषयक।

महोदय,

कृपया अनधिकृत निर्माणकर्ता श्री दुष्यन्त सेठी, वीरभद्र रोड, न्यू आवास विकास, भरत विहार निकट हरि अपार्टमेन्ट, ऋषिकेश, में उपरोक्त स्थल पर बिना स्वीकृति के लगभग 40 फिट गुणा 50 वर्गफिट के क्षेत्रफल में भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल, पर निर्माण कार्य के विरूद्व उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) यथासंशोधित की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत योजित वाद संख्या आर–0215/2021 में कार्यालय के पत्रांक–3149/वाद संख्या–आर–0215/2021 दिनांक 17.05.2025 द्वारा ध्वस्तीकरण आदेश पारित करते हुए विपक्षी को आदेश की प्राप्ति के 15 दिन के भीतर प्रश्नगत अवैध निर्माण को स्वंय हटाये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। संबंधित क्षेत्रीय सहायक अभियन्ता की आख्या दिनांक 03.07.2025 के अनुसार अनाधिकृत निर्माणकर्ता द्वारा नियत समय अवधि में प्रश्नगत निर्माण को नहीं हटाया गया है। प्राधिकरण द्वारा प्रश्नगत अवैध निर्माण को दिनांक 8/7/25 को ध्वस्त किया जाना प्रस्तावित है।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त नियत तिथि को अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु सम्बन्धित थानाध्यक्ष को पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय

उपजिलाधिकारी/उप जिला मजिस्ट्रेट,
ऋषिकेश।

पत्रांक/दिनांकः उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः–

1. प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली. ऋषिकेश को इस आशय के साथ कि उक्त नियत तिथि को आवश्यक पुलिस बल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
2. तहसीलदार, ऋषिकेश को इस निर्देश के साथ कि उक्त नियत तिथि को ध्वस्तीकरण के दौरान कानून एंव शांति व्यवस्था के दृष्टिगत यथोचित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
3. नाजिर, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून को इस निर्देश के साथ कि उक्त नियत तिथि को पूर्वान्ह 11.00 बजे से पूर्व शाखा कार्यालय ऋषिकेश में एक डोजर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।
4. सहायक अभियंता/अवर अभियंता/सम्बन्धित प्रोसेस सर्वर,शाखा कार्यालय ऋषिकेश को इस निर्देश के साथ कि वह निर्धारित तिथि पर प्रश्नगत अनधिकृत निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पन्न कराना सुनिश्चित करेगें।
5. अनधिकृत निर्माणकर्ता श्री दुष्यन्त सेठी, वीरभद्र रोड, न्यू आवास विकास, भरत विहार निकट हरि अपार्टमेन्ट, ऋषिकेश, जिला देहरादून को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।

उपजिलाधिकारी/उप जिला मजिस्ट्रेट,
ऋषिकेश।

14140

कोतवाली

7/7/25

DOSO

महोदय

श्री दुष्यन्त सेठी /भवन स्वामी का नोटिस के सम्बन्ध में श्री दुष्यन्त सेठी के कार्यालय सिटि सेन्टर मे गया वहा पर श्री दुष्यन्त सेठी मिले उन्होने अपना नोटिस स्वयम प्राप्त किया साथ ही नोटिस की कॉपी स्थल पर अवर अभियन्ता की मौजूदगी में चश्पा की गयी ~~चश्पा~~ चश्पा की फोटो संलग्न है।

(signature)
07/07/25

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,

शाखा कार्यालय, एच–21, ऋषिलोक कालोनी, ऋषिकेश, जिला–देहरादून।

दिनांकः 13/08/2025

पत्रांक 3281/नो0/ऋषि0/वाद संख्या आर–0215/2021

सेवा में,

पुलिस क्षेत्राधिकारी
ऋषिकेश, जिला देहरादून।

विषयः– दिनांक 18/8/25 को स्थल वीरभद्र रोड, न्यू आवास विकास, भरत विहार निकट हरि अपार्टमेन्ट, ऋषिकेश जिला देहरादून में अनधिकृत निर्माण ध्वस्त किये जाने हेतु पुलिस बल उपलब्ध कराये जाने विषयक।

महोदय,

कृपया अनधिकृत निर्माणकर्ता श्री दुष्यन्त सेठी, वीरभद्र रोड, न्यू आवास विकास, भरत विहार निकट हरि अपार्टमेन्ट, ऋषिकेश, में उपरोक्त स्थल पर बिना स्वीकृति के लगभग 40 फिट गुणा 50 वर्गफिट के क्षेत्रफल में भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल, पर निर्माण कार्य के विरूद्व उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) यथासंशोधित की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत योजित वाद संख्या आर–0215/2021 में कार्यालय के पत्रांक–3149/वाद संख्या–आर–0215/2021 दिनांक 17.05.2025 द्वारा ध्वस्तीकरण आदेश पारित करते हुए विपक्षी को आदेश की प्राप्ति के 15 दिन के भीतर प्रश्नगत अवैध निर्माण को स्वंय हटाये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। संबंधित क्षेत्रीय सहायक अभियन्ता की आख्या दिनांक 12.08.2025 के अनुसार अनाधिकृत निर्माणकर्ता द्वारा नियत समय अवधि में प्रश्नगत निर्माण को नहीं हटाया गया है। प्राधिकरण द्वारा प्रश्नगत अवैध निर्माण को दिनांक 18/8/25 को ध्वस्त किया जाना प्रस्तावित है।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त नियत तिथि को अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु सम्बन्धित थानाध्यक्ष को पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय

उपजिलाधिकारी/उप जिला मजिस्ट्रेट,
ऋषिकेश।

पत्रांक/दिनांकः उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त/अध्यक्ष महोदय, गढ़वाल मण्डल पौडी, उत्तराखण्ड को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी महोदय, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. उपाध्यक्ष महोदय, एम0डी0डी0ए0 देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली, ऋषिकेश को इस आशय के साथ कि उक्त नियत तिथि को आवश्यक पुलिस बल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
5. तहसीलदार, ऋषिकेश को इस निर्देश के साथ कि उक्त नियत तिथि को अध्यारान मुक्त करते हुए ध्वस्तीकरण के दौरान कानून एंव शांति व्यवस्था के दृष्टिगत यथोचित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
6. नाजिर, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून को इस निर्देश के साथ कि उक्त नियत तिथि को पूर्वान्ह 11.00 बजे से पूर्व शाखा कार्यालय ऋषिकेश में डोजर, विडियोग्राफर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।
7. सहायक अभियंता/अवर अभियंता/सम्बन्धित प्रोसेस सर्वर,शाखा कार्यालय ऋषिकेश को इस निर्देश के साथ कि वह निर्धारित तिथि पर प्रश्नगत अनधिकृत निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पन्न कराना सुनिश्चित करेगें।
8. अनधिकृत निर्माणकर्ता श्री दुष्यन्त सेठी, वीरभद्र रोड, न्यू आवास विकास, भरत विहार निकट हरि अपार्टमेन्ट, ऋषिकेश, जिला देहरादून को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।

उपजिलाधिकारी/उप जिला मजिस्ट्रेट,
ऋषिकेश।